बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं0सं0- 05/स्था0(आरोप)-33/2010 6514 /परि0 पटना, दिनांक 27/11/14

परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-4578 दिनांक 26.08.2014 द्वारा श्री दारोगा प्रसाद यादव, जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय का स्थानान्तरण जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा के पद पर किया गया है। श्री यादव द्वारा अबतक अपने स्थानान्तरित पद पर योगदान नहीं दिया गया है।

2. अतः श्री दारोगा प्रसाद यादव, जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय को जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा के पद पर योगदान करने हेतु तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है।

3. जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को निदेश दिया जाता है कि जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय के पद पर नियमित पदस्थापन होने तक समान स्तर के वरीय उप समाहर्त्ता को प्रभार सुपुर्द करने की व्यवस्था करें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

निबंधित/ई-मेल ज्ञापांक - 05/स्था0(आरोप)-33/2010 6514 पटना, दिनांक 27/11/14

प्रतिलिपिः- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, पटना/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/जिला पदाधिकारी, सहरसा/संयुक्त आयुक्त-सह-क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर/श्री दारोगा प्रसाद यादव, जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय/मोटरयान निरीक्षक, सहरसा/माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर कम्प्यूटर कोषांग/प्रभारी सहायक स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/11/14
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

E:\Puja Mishra Privahan\Sec 5\Puja-5.Docx